सन्मार्ग

46 साल पुराने मामले का निष्पादन

हरमू रोड गोशाला

विनोद

रांची : शनिवार को आयोजित पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने से पुरानों वादों (मामलों) का निबटारा हुआ। इससे वर्षों से कोर्ट-कचहरी का दौड़ लगानेवाले वादी-प्रतिवादियों ने राहत की सांस ली। रांची सिविल कोर्ट में लगे राष्ट्रीय लोक अदालत में 46 वर्ष पुराने मामले का निबटारा किया गया। रांची के हरमू रोड स्थित गोशाला के 1967-68 से जुड़ा मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। मामले के निष्पादन के बाद वादियों को प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी ने 57 लाख रुपये का चेक दिया। मामले के निबटारे में गोशाला की ओर से अधिवक्ता बालमुकुंद लाल ने अहम भूमिका निभाई, जबकि गोशाला के संस्थापक शत्रुघ्न सिंह, सचिव सज्जन सर्राफ और पदम कुमार खेमका ने भी सराहनीय पहल की।

वाहन दुर्घटना का 12 वर्ष पुराना मामला सुलझा

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना के 12 वर्ष पुराने मामले का भी निष्पादन किया गया। यह मामला वर्ष 2001 से जुड़ा है, जिसकी शिकायत बेड़ो थाने में 166 के एमवी एक्ट के तहत मामला संख्या 65 टी, 66 टी, 67 टी और 65 टी दर्ज कराया गया था। मामले के अनुसार मारूति पर सवार होकर चार लोग गुमला जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी भरनो के पास पलमादीपा के पास पेड़ से टकरा गयी, जिसमें एक की मौत और तीन अन्य घायल हो गये। घटना के बाद मृतक के परिजनों समेत चारों ने अलग-अलग मामला दर्ज कराया, जिसमें मामला संख्या 66 टी में मृतक के परिजनों को 3.36 लाख, पहले घायल को 45 हजार, दूसरे घायल को 2.38 लाख और आंशिक रूप से तीसरे घायल को कंपनी ने 10 हजार रुपये का भुगतान किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत | सुप्रीम कोर्ट से अनुमंडल कोर्ट तक बैठी बेंच, रांची, बोकारो, हजारीबाग सिविल कोर्ट में भी सुनवाई

न्याय कुंभ में 85 हजार मामलों का निष्पादन

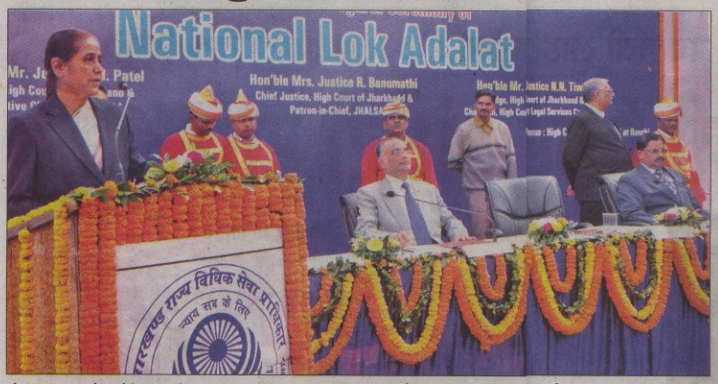

लोक अदालत को संबोधित करतीं मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति, मंच पर बैठे न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश एनएन तिवारी।

हाइकोर्ट में आयोजित लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य लोग। छायाः खबर मन्त्र

सीनियर रिपोर्टर

रांची। शनिवार को नालसा के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरे झारखंड के विभिन्न न्यायालयों में एक लाख से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर अनुमंडल कोर्ट तक लगायी गयी थी। पूरे देश में लगभग 39 लाख मामले सूचीबद्ध किये गये थे। झारखंड में 1.5 लाख मामले सूचीबद्ध थे। इसमें 85 हजार मामलों का निष्पादन हुआ। इसके अलावा 83 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 19 नवंबर से ही विभिन्न न्यायालयों में मामले निष्पादित किये जा रहे थे। लगभग 3400 चेक लाभुकों को बांटे गये।

नालसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जानकारी

नालसा के संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश पी सताशिवम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे देश में चल रही लोक अदालतों की जानकारी ली। छह सिविल कोर्ट में चल रही लोक अदालत की भी जानकारी ली। इनमें से तीन रांची, बोकारो और हजारीबाग सिविल कोर्ट झारखंड के हैं।

हाइकोर्ट : 632 मामले निष्पादित

हाइकोर्ट में 632 मामले निष्पादित किये गये। इसके अलावा 18.5 करोड़ का सेटलमेंट किया गया। इससे पूर्व उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति, न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश एनएन तिवारी ने दीप जला कर किया। हाइकोर्ट में कुल सात बेंच का गठन किया गया था। जिसमें प्री लिटिगेशन के मामले, इंश्योरेंस, बिजली, वन विभाग, श्रम विभाग, मुआवजे से संबंधित, सुलहनीय आपराधिक मामले और अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत में सीसीएल की ओर से विनोद कुमार उरांव, सतीश ओझा, बाजन मांझी, सुधीर कुमार प्रीतम, संतोष मुंडा और कैलाश को नियुक्ति पत्र दिया गया। बीसीसीएल ने भी चार को नियुक्ति पत्र दिया।

लोक अदालत के हैं कई फायदे : न्यायाधीश डीएन पटेल

न्यायाधीश डीएन पटेल ने लोक अदालत के फायदे को गिनाते हुए कहा कि इस अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मामले को निष्पादित कराने के पैसे नहीं लगते। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यदि आप याचिका कोर्ट में दायर कर चुके हैं और लोक अदालत से मामले का निष्पादन होता है, तो कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में 19 नवंबर से ही मामलों का निष्पादन किया जा रहा था। लगभग 50 हजार मामले निष्पादित किये गये थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रांची, बोकारो और हजारीबाग सिविल कोर्ट को नालसा द्वारा जोड़े जाने को गौरव की बात कही।

हाइकोर्ट परिसर में लगी लोक अदालत में लोगों की समस्याएं सुनते न्यायालय के अधिकारी।

लोक अदालत दोनों पक्षों को मुस्कुराने का मौका देती हैः मुख्य न्यायाधीश

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति ने कहा कि लोक अदालत दोनों पक्षों को मुस्कुराने का मौका देती है। यह सुलह पर ही टिका हुआ है। झारखंड में झालसा द्वारा फ्री लिगल एड दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि लोक अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही देश के किसी कोर्ट में अपील की जा सकती है। लोक अदालत के माध्यम से मोटरवाद, पारिवारिक वाद, जमीन से जुड़े मामले, श्रम मामले और अन्य सभी सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नालसा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के तीन कोर्ट को जोड़ा जाना गौरव की बात है।

फैसले को आर्थिक मापदंड पर नहीं मापा जा सकता : न्यायाधीश एनएन तिवारी

न्यायाधीश एनएन तिवारी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि लोक अदालत महज अदालत नहीं है, यह एक ऐसा आयोजन है, जिससे लोगों की भागीदारी से समस्या सुलझेगी। लोगों को शांति और सुख मिलेगा। लोक अदालत के फैसले को आर्थिक मापदंड पर नहीं मापा जा सकता। प्रतिभागियों को लोक अदालत के फैसले जिंदगी भर सुकून देंगे। लोक अदालत से दुश्मनी के बजाय मित्रता बढ़ती है। लोगों का विश्वास इस पर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों में चलने वाले मुकदमे में परेशानी, खर्च और दुर्भावना को आंकेंगे तो, यही महसूस होगा कि लोक अदालत में सद्भावना से मामला निष्पादित हो गया। कई ऐसी चीज मिलीं, जो मुकदमा लड़ कर नहीं मिल सकती थीं।

10 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी से मिला पैसा

रांची। लोक अदालत के माध्यम से अंजना वर्मा और रोशनी मिश्रा को 10 साल मुकदमा लड़ने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। अदालत में कंपनी ने अंजना को नौ लाख 81 हजार 478 रुपये और रौशनी को एक लाख 94 हजार 284 रुपये का चेक प्रदान किया। मोटरयान दुर्घटनावाद का यह मामला 2003 से ही चला आ रहा था।

घटना 2003 की है। अंजना के पति मधुम कुमार वर्मा और रौशनी के पति एस मिश्रा की मौत सिल्ली में दुर्घटना में हो गयी थी। ये दोनों इसीएल में

लाभुक को इंश्योरेंस का चेक देतीं मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति।

आसनसोल में पोस्टेड थे। हर शनिवार को रांची आते थे, और सोमवार को सुबह आसनसोल जाते थे। घटना के बाद इंश्योरेंस की राशि नेशनल इंश्योरेंस और ओरियंटल इंश्योरेंस को देना था। निचली अदालत ने अंजना को 30 लाख और रौशनी को 22 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। ओरियंटल इंश्योरेंस को 70 फीसदी और नेशनल इंश्योरेंस को 30 फीसदी राशि देनी थी। लोक अदालत में नेशनल इंश्योरेंस ने दोनों को राशि का भुगतान किया।

देखें www.khabarmantra.com

चीफ जस्टिस के सामने पांच जोड़ों का पुनर्मिलन

लोक अदालत में दोबारा एक-दूजे का हाथं थामते दंपति।

रांची। झारखंड हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति, जोनल जज न्यायमूर्ति डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति एनएन तिवारी शनिवार को अपराह्न दो बजे लोक अदालत का जायजा लेने सिविल कोर्ट पहुंचे। लोक अदालत की कार्रवाई को घूम-घूम कर देखा। ई-कोर्ट रूम में पहुंचे, जहां पांच जोड़ों के वैवाहिक विवादों को सुलझाया गया। पांचों ने एक-दूजे का होने की पुनः कसमें खायीं। एक-दूसरे के गले में माला डाल कर नये वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने का वायदा न्यायाधीशों के समक्ष किया। न्यायमूर्ति बानुमति ने कहा कि ठीक से रहो। लड़ाई से घर नहीं चलता है। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि लड़ाई वाला नहीं समाधानवाला जीतता है। पति के व्यवसाय में हाथ बंटाना चाहिए। साथ रहने से मजबूती मिलती है।

इनमें बैंक मैनेजर अरविंद कुमार एवं अर्चना देवी, टेलर काफिल अख्तर एवं अशगरी परवीन, किसान मुकेश भगत एवं शारदा देवी, दुकानदार मो. इरशाद एवं रोशन आरा तथा मेहराव अली एवं बाजदा तबस्सुम शामिल हैं।

केशो जलाशय : विस्थापितों को मुआवजा

रांची। शनिवार को लगायी गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में केशो जलाशय के विस्थापितों की ओर से दायर 734 मामलों का एक साथ निष्पादन किया गया। इस आदेश से हजारीबाग के मरकच्चो के 11 गांव के लगभग 5000 लोग लाभान्वित होंगे। लगभग 24 करोड़ रुपये विस्थापितों को दिये जायेंगे। लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में शकुंतला देवी और सूर्यदेव कुमार सिंह को सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किया गया। मामले में रामचंद्र महतो व अन्य 733 ने याचिका दायर की थी। केशो जलाशय

विस्थापित महिला को मिला मुआवजा राशि का चेक।

प्रोजेक्ट के तहत मरकच्चो के 11 गांव में 721 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 1987-1988 में किया गया था। इसमें कताही, भगतीयाडीह, कारी खोखो, पसियाडीह, मसमोहना, परवाना टांड़, टिकोपाड़ा, कैलाखंधर, नीमडीह, कुंडीधनवार, बचाडीह के ग्रामीण विस्थापित हुए थे। कोर्ट ने विस्थापितों को 66 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुआवजा के साथ 30 फीसदी सोलेसियम और नौ से 12 फीसदी ब्याज देना है।

देखें www.khabarmantra.com

बेटा खोने वाले दंपति ने नम आंखों से थामा चेक

निशि कान्त

रांची। न्याय महाकुंभ कई लोगों को खुशी दे गया। किसी ने सूद छूट के साथ बैंक लोन चुकाया, तो किसी ने ग्रेच्यूटी का पैसा पाया। लोगों के एक झटके में मुकदमे समाप्त हो गये। इसी भीड़ में अपने बेटे को खो चुके मनु कुजूर एवं रीतू कुजूर दंपति भी पहुंचे हुए थे। शनिवार को जब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति ने मनु और रीतू को एक साथ इंश्योरेंस का चेक (2.70 लाख) थमाया, तो दंपति के आंसू टपकने लगे।

न्यायमूर्ति बानुमति ने पूछा बेटे की मौत कब हुई थी। रीतू ने जवाब दिया बेटा को मरे दो साल हो गया है। वहीं पास में खड़े हाइकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएन तिवारी ने कहा चेक को संभाल कर रखो। पैसे को अच्छे काम में लगाना या खर्च करना। यह पैसा बेटे की निशानी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए ई-कोर्ट रूम से बाहर निकले।

इसी तरह सावित्री देवी को 3.30 लाख रुपये का चेक मिला। इनके पति की मौत सड़क हादसे में नौ साल पहले हो गयी थी। किसी तरह गुजारा कर रही थी। जज ने कहा कुछ पैसे फिक्स्ड कर देना। भविष्य में काम देगा। सड़क हादसे में मारे गये कुल नौ लोगों के परिवार वालों को शनिवार को चेक दिया गया। सभी ने कहा इस तरह की लोक अदालत बार-बार लगे और लोगों को लाभ मिलता रहे।

लाभुक को मुआवजा राशि का चेक सौंपतीं मुख्य न्यायाधीश।

सिविल कोर्ट में 15 हजार से अधिक मामले सुलझे

दस करोड़ रुपये की वसूली, एक करोड़ रुपये बांटे गये

सिटी रिपोर्टर

रांची। राष्ट्रीय लोक अदालत अर्थात न्याय महा कुंभ में शनिवार को सिविल कोर्ट रांची में 15 हजार से अधिक मामले सुलझाये गये। इसमें 16 हजार लोग लाभान्वित हुए। बैंकों, बीएसएनएल, इंश्योरेंस कंपनियों आदि ने मौके पर दस करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की।

मोटर वाहन दुर्घटना वाद के 16 मामले में 43.50 लाख रुपये का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी ने लाभुकों को किया। केंद्रीय श्रम विभाग के 19 मामलों में 42.55 लाख रुपये का भुगतान मजदूरों को किया गया। इसमें 106 लोग लाभान्वित हुए। वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव बोलीं कि सात वर्कर को ग्रेच्यूटी के रूप में 37.35 लाख रुपये दिये गये। पिछले कई वर्षों से इनका ग्रेच्यूटी भुगतान लंबित चल रहा था। सिविल कोर्ट एवं समाहरणालय में 34 बेंच का गठन किया गया था। दीवानी एवं फौजदारी के साथ-साथ एसएआर, एसडीओ एवं डीसीएलआर कोर्ट में मामले सुलझाये गये।

लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एसएच काजमी, सचिव संतोष कुमार, फैमिली कोर्ट न्यायाधीश बीके सहाय, एमएसीटी जज कृष्ण रंजन समेत न्यायिक कई दंडाधिकारियों, कोर्ट स्टाफ एवं वकीलों के सहयोग से मामले सुलझे।

देखें www.khabarmantra.com

सिविल कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान जुटी भीड़।

46 साल पुराना भूमि अधिग्रहण मामला सुलझा

भूमि अधिग्रहण से जुड़े 46 साल पुराने मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में हो गया। सरकार ने 57.12 लाख रुपये का भुगतान किया। लाभुकों में पदम कुमार खेमका, शत्रुघ्न सिंह एवं सज्जन कुमार सर्राफ शामिल हैं। मामला हरमू बाई पास स्थित गौशाला न्यास से जुड़ा था। वर्तमान में यह मुकदमा (एलए 6/67) सब जज दो सत्य प्रकाश की अदालत में चल रहा था।

वाहन दुर्घटना वाद : जजों ने छह को सौंपा चेक

सड़क दुर्घटना में मरे छह लोगों के परिवारवालों को मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति एवं न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने चेक वितरण किया। कहा कि पैसा मिल रहा है। इसे अच्छे काम में खर्च करना। जज के हाथों से चेक पानेवालों में कार्तिक राम गुप्ता (9.50 लाख), कोशिला देवी (3.69 लाख), कुजू उरांव (3 लाख), मनु कुजूर व रीतू कुजूर (2.70 लाख), सोहगी देवी (3.55 लाख) एवं सावित्री देवी (3.30 लाख) शामिल हैं।